रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16032024-253136
SG-DL-E-16032024-253136

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2024/फाल्गुन 23, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 467
No. 92]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024/PHALGUNA 23, 1945	[N. C. T. D. No. 467

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 मार्च, 2024

F. No.14337/TO(North)/TC_Transplant/Felling/2023-24/8625-32:—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में पंजाबी बाग, राजा गार्डन फ्लाईओवर के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2.9253 हेक्टेयर लगभग क्षेत्रफल को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करते हैं।

परियोजना का नाम और स्थान	परियोजना स्थल पर वृक्षों की कुल संख्या	वृक्षों की संख्या			उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
		प्रत्यारोपण हेतु	काटे जाने वाले	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पंजाबी बाग, नई दिल्ली में पंजाबी बाग, राजा गार्डन फ्लाईओवर के निर्माण हेतु।	253	30	3	33	330
योग	**253**	**30**	**3**	**33**	**330**

यह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है:-

क्र.सं	प्रतिपूरक वनीकरण / वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	330 का प्रतिपूरक वृक्षारोपण (10x33=330 अर्थात वृक्षों को प्रत्यारोपण किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना) प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद,देसी कीकर, अर्जुन एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का उपभोगी संस्था द्वारा भगत सिंह पार्क, सिरसपुर, लिबासपुर, दिल्ली-110042 में 27865 वर्गमीटर क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की भूमि पर किया जाएगा।	330	18,81,000/-	वृक्ष अधिकारी/ उप-वन संरक्षक (उत्तर)
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा परियोजना स्थल से 30 वृक्षों का प्रत्यारोपण सीएनजी पंप स्टेशन, पंजाबी बाग बस टर्मिनल, महात्मा गांधी रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में 4101 वर्ग मीटर क्षेत्र पर अपने स्वयं की लागत पर किया जाएगा।			

नियम एवं शर्तें

1. **सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)**,जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्षों की अवधि के लिए पौधों के सम्पूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु उपरोक्तानुसार 18,81,000/-रुपये (अठारह लाख इक्यासी हजार मात्र @ रु. 57000/- प्रति वृक्ष)(वापसी योग्य राशि- 16,35,645/- रुपये (सोलह लाख पैंतीस हजार छह सौ पैंतालीस मात्र) और प्रशासनिक शुल्क और आकस्मिकता- रुपये 2,45,355/- रुपये (दो लाख पैंतालीस हजार तीन सौ पचपन मात्र) की राशि अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी और यदि उपभोगी संस्था द्वारा 2, 3 और 4 में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो इस राशि को जब्त कर लिया जाएगा और इस राशि को वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा ।

2. **उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों का प्रत्यारोपण / कटाई शुरू करने से पहले पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें**:-

   a. दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में उपभोगी संस्था द्वारा संबंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक को विस्तृत वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा ।

   b. उपभोगी संस्था द्वारा साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत किया जाएगा ।

   c. उपभोगी संस्था केद्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षो की कटाई / प्रत्यारोपण से पूर्व कोई लंबित मुकदमा या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय / अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो ।

   d. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को कटाई/ प्रत्यारोपण का कार्य सभी वैधानिक मंजूरियों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

e. उपभोगी संस्था के द्वारा वनमंजूरी में और अन्य मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों, यदि कोई हो, का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा ।

3. **वृक्षों के प्रत्यारोपण / कटाई के दौरान पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें:-**

a. क्र.सं.2 में शर्तों के अनुपालन होने के तुरंत बाद उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे छ:महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा । प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक को प्रस्तुत की जायेगी । प्रत्यारोपण स्थल मे प्रत्यारोपित वृक्षो की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए ।

b. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति, 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा ।

c. उपभोगी संस्था प्रतिरोपित वृक्षों का न्यूनतम तीन वर्षों तक उसी प्रत्यारोपण एजेंसी के माध्यम से अनुरक्षण करेगी जिन के द्वारा प्रत्यारोपण किया गया था।

d. उपभोगी संस्था द्वारा 03 वृक्षो को काटने से पूर्व प्रत्यारोपण किया जाएगा । 03 वृक्षो की अनुमति 30 वृक्षो के सफल प्रत्यारोपण और सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक को अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जायेगी ।

e. उपभोगी संस्था द्वारा प्रत्यारोपण / काटे जाने वाले वृक्षों की प्रगति रिपोर्ट संबंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक को वृक्षों के पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत की जाएगी ।

f. यदि किसी वृक्ष में पक्षियों का घोंसला पाया जाता है तो उसे तब तक नहीं काटा/ प्रत्यारोपण किया जाएगा जब तक कि पक्षी उसे स्वतः छोड़ न दें।

g. उपभोगी संस्था द्वारा 33 वृक्षो के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई / प्रत्यारोपण दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत एक अपराध होगा।

h. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को हटाए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते मे राजस्व के रूप में जमा की जाएगी ।

i. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाएगी और इसकी सूचना सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक को भी दी जाएगी ।

j. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को हटाए जाने के स्थल से लकड़ियों को को ले जाने से पूर्व सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

k. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो की प्रत्यारोपण / कटाई और उसमें पैदा होने वाली वन उपज को सार्वजनिक श्मशान मे 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा ।

l. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

m. उपभोगी संस्था के द्वारा वन मंजूरी में और अन्य मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों, यदि कोई हो, का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा ।

n. उपभोगी संस्था के द्वारा अनुमोदित वृक्ष संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रस्तुत सभी गतिविधियों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा ।

o. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 की धारा 4 (6-बी) के अंतर्गत सभी प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन किया गया है और इसका सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा ।

p. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी प्रतिरोपित वृक्षों के लिए जो 15 फीट ऊंचाई और कम से कम 6 इंच व्यास वाले स्वदेशी वृक्ष प्रजातियों में जीवित नहीं रह पाते हैं, तो उन्हें 1:5 के अनुपात में लगाया जाएगा । आवश्यक अतिरिक्त भूमि उपभोगी संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी और वृक्षारोपण स्वयं की लागत पर किया जाएगा ।

4. **वृक्ष अधिकारी / उप-वन संरक्षक द्वारा सफलतापूर्वक वृक्षारोपण और सुरक्षा जमा राशि जारी करने पर विचार करने के लिए आवश्यक शर्तें**:-

   a. उपरोक्त तालिका 1 (क) और (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 330 पौधो का 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षो तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा । इस वृक्षारोपण के सफलता पूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी ।

   b. 33 वृक्षो के प्रत्यारोपण / काटे जाने के बदले मे 1:10 के अनुपात मे स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 330 पौधो का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और अग्रिम सात (7) वर्षों के लिए रखरखाव तथा उसके बादउनका रखरखाव उपभोगी संस्था द्वाराअपनी स्वयं की लागत पर किया जाएगा ।

   c. यदि उपभोगी संस्था सफलतापूर्वक प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने में विफल रहती है। उपभोगी संस्थाद्वारा अतिरिक्त साइट सुधार खर्चों को जमा किया जाएगा जो कि सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक द्वारा गणना के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकती है ।

   d. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण / वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यो के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।

   e. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षारोपण पत्रिका को वन और वन्यजीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्धारित करेंगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक को प्रस्तुत की जाएगी । प्रारूप की प्रति **https://dpta.eforest.delhi.gov.in** पर उपलब्ध है।

   f. भूमि स्वामित्व एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण न हो।

   g. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा।

   h. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

5. यदि उपरोक्त में से कोई भी शर्त उपभोगी संस्था द्वारा पूरी नहीं की जाती है, तो संबंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक द्वारा दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

6. 33 वृक्षो को प्रत्यारोपण / **कटाई** के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षो और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 15th March, 2024

F.No.14337/TO(North)/TC_Transplant/Felling/2023-24/8625-32 :-In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 2.9253 ha for construction of Punjabi Bagh, Raja Garden Flyover at Punjabi Bagh, New Delhi, from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Name of the Project	Total Number of trees at the project site	Number of trees			Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees)
		Transplantation	Felling	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Construction of Punjabi Bagh, Raja Garden Flyover at Punjabi Bagh, New Delhi.	253	30	3	33	330
Total	**253**	**30**	**3**	**33**	**330**

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

SN	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	Compensatory Plantation of 330 number of tree saplings (10x33=330, i.e., ten times the number of trees permitted for transplantation of trees) consisting of species of Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Desi Kikar and Arjun along with other native species shall be carried out by User Agency on PWD land at Bhagat Singh Park, Siraspur, Libaspur, Delhi-110042 in 27865 sqm area.	330	18,81,000 /-	Tree Officer / Deputy Conservator of Forests (North)
(b)	Transplantation of 30 numbers of trees which are standing on site shall be done by User Agency with their own funds at CNG Pump Station, Punjabi Bagh Bus Terminal, Mahatma Gandhi Road, Punjabi Bagh, New Delhi over an area of 4101 sqm area.			

TERMS & CONDITIONS

1. **Public Works Department (PWD)** herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs **18,81,000**/- (Rs. Eighteen Lakh Eighty One Thousand Only) (Refundable amount- Rs. 16,35,645/- Rupees (Sixteen Lakh Thirty Five Thousand Six Hundred Forty Five Only) and Administrative charges and contingencies- Rs. 2,45,355/-Rupees (Two Lakh Forty Five Thousand Three Hundred Fifty Five Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven (7) years and the same shall be forfeited and utilized for plantation by the Forest Department if terms and conditions mentioned at 2, 3 & 4 are not followed by User Agency.

2. **The conditions required to be fulfilled before starting transplantation / felling of trees by User Agency:-**

a. Detailed plantation schedule shall have to be submitted by User Agency to concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests in compliance with Section-12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

b. User Agency shall submit a detailed plan for site preparation and plantation.

c. The User Agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling/ transplantation of trees.

d. Before the removal of trees from the site is commenced, all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.

e. It should be ensured by the User Agency that all the conditions mentioned in Forest clearance and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.

3. **The conditions required to be fulfilled during the transplantation / felling of trees:-**

a. Transplantation of trees shall be initiated immediately after conditions in point no. 2 is satisfied and should be completed not later than six (06) months of such date, after which a completion report has to be submitted to the concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.

b. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy, 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.

c. User Agency shall maintain the transplanted trees for minimum three years by engaging the same transplantation agency which has carried out the transplantation.

d. The transplantation shall be carried out prior to felling of 03 number of trees permitted herein. The 03 trees shall be removed / felled after successful transplantation of 30 trees and submission of compliance certificate to concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests

e. The progress report of transplantation / felling shall be submitted to concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests along with complete details of trees by the User Agency.

f. If any tree is found to have nest of birds it should not be felled / transplanted till the same is abandoned by the birds.

g. Transplantation / felling of any tree apart from 33 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994.

h. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.

i. The lops & tops of the trees shall be sent / supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests by User Agency.

j. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests by User Agency.

k. Transplantation / felling of trees and transportation of forest produce arising there from to the public crematorium shall be completed within 90 days.

l. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.

m. It should be ensured by the User Agency that all the conditions mentioned in forest clearance and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.

n. All activities as submitted under approved Tree Preservation Plan should be followed scrupulously.

o. It must be ensured that all provisions under section 4 (6-b) of Tree Transplantation Policy, 2020 have been followed and details of the same should be submitted to the Tree Officer / Deputy Conservator of Forests concerned.

p. User Agency must ensure that, for all transplanted trees that do not survive indigenous tree species with 15 feet height and at least 6 inch diameter is planted in 1:5 ratio. The excess land required should be provided by User Agency & plantation has to be done at own cost.

4. The conditions required to be fulfilled for considering successful plantation & release of Security Deposit by the Tree Officer / Deputy Conservator of Forests :-

a. 100% Compensatory Plantation of 330 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as mentioned on table above.

b. 330 tree saplings of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of transplantation / felling 33 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance for next Seven (7) years shall be carried out there after by User Agency with their own funds.

c. If the User Agency fails to successfully raise compensatory plantation. The User Agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer / Deputy Conservator of Forests concerned (as deposits).

d. The land over which compensatory plantation / Tree transplantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of the Competent Authority.

e. User Agency shall maintain plantation journals as prescribed by Department of Forests and Wildlife, Government of NCT of Delhi and a copy of the same shall be submitted to the concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests at the end of every financial year. A copy of format is available in ***https://dpta.eforest.delhi.gov.in***.

f. Land Owning agency shall ensure that there is no encroachment in area proposed for compensatory plantation/ transplantation.

g. The User Agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation/ transplantation site.

h. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.

5. If any of the above condition is not fulfilled by the User Agency, concerned Tree Officer/ / Deputy Conservator of Forests shall initiate action as per Section 12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

6. Permission for transplantation / felling of 33 numbers of tress is being granted to the User Agency at their own risk and without prejudice the claim(s) of any other person(s) who may be having any right(s) over the land or the trees.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Pr. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024-01-16 14:02:09 +05'30'